कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

–::– द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना–::–

क्रमांक 2065 /फर्नीचर क्रय संबंधी नस्ती/ देवास, दिनांक– 11.07.2023

सिविल न्यायालय सोनकच्छ जिला देवास में नवीन न्यायालय भवन में उपयोग हेतु फर्नीचर क्रय किया जाना है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	संभावित संख्या/नग
01	सेन्टर टेबल साईज 3′ गुणा 2′ (Glass Top and Wooden/Board Body)	10 नग
02	कार्नर टेबल साईज 1.5′ गुणा 1.5′ (Glass Top and Wooden/Board Body) 'चेम्बर एवं कॉन्फ्रेन्स हॉल के लिये	10 नग
03	ऑफिस स्टूल साईज 1.5′ गुणा 1.5′ (Wooden Top With Iron Frame)	10 नग
04	बेंच 8′ लंबी लकड़ी /बोर्ड के टॉप एवं बेक की, लोहे के फ्रेम में उच्च गुणवत्ता वाली (न्यायालय कक्ष में विजिटर्स एवं अधिवक्ताओं के लिये)	10 नग
05	फोल्डेबल व्हील चेयर (उच्च गुणवत्ता की) (दिव्यांगजन हेतु)	02 नग
06	चेस्ट ऑफ डॉवर (Pre. Laminate Board made with padestal 3 storage sliding drawers) size approx 650X390X600 mm	10 नग
07	स्टेप लेडर (सीढ़ी) 15′ ऊँचाई तक की एलॉय/स्टील मेक	02 नग

उक्तानुसार फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु फर्नीचर विक्रेताओं से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक फर्नीचर विक्रेता, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के कार्यालयीन समय में निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर दिनांक 25.07.2023 के सायं 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में "कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के नाम आवक–जावक अनुभाग में निविदा मय केटलॉग सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं/कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

//निविदा शर्ते//

01. फर्नीचर सामग्री हेतु प्रस्तुत किये जाने वाली निविदा के साथ राशि रुपये 1000/– (अक्षरी रुपये एक हजार मात्र) OTC चालान द्वारा शासकीय 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800 मद में जमा कर मूल रसीद प्रस्तुत की जावे एवं शर्तो व सामग्री की सूची रखी जावे। आवेदन–पत्र की राशि रुपये 1000/– किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

02. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के साथ धरोहर राशि के रुप में 10,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। जिस निविदाकार की निवदि स्वीकार की जावेगी, उसे सामग्री की आपूर्ति व इन्स्टालेशन करने के 01 माह बाद लौटाई जावेगी। शेष निविदाकर्ताओं जिनकी निविदा असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रकिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

03. आवेदन–पत्र की राशि एवं धरोहर राशि के बिना प्ररतुत निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

04. फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा विगत वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।

05. सभी प्रकार के करों व कय मूल्य का खुलासा तथा सकल योग स्पष्ट रुप से निविदा में किया जावे।

06. कय की गई सामग्री की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन सिविल न्यायालय सोनकच्छ जिला देवास में किया जावेगा। उक्त संबंध में आपूर्ति किये जाने संबंधी कोई पृथक परिवहन व्यय (भाड़ा) नहीं दिया जावेगा।

07. कय की गई सामग्री को 01 वर्ष की वारंटी पीरियड सहित मरम्मत कार्य मौके पर (सिविल न्यायालय सोनकच्छ) में जाकर संबंधित फर्म द्वारा किया जावेगा।

08. सामग्री इन्स्टॉलेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।

09. मांग का आदेश करने से 20 दिवस के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इंस्टालेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा कय की सामग्री के लिये मांग का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

10. नियंत्राधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।

11. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रकम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

12. उपरोक्त सामग्री के कय की संख्या कम किये जाने अथवा बढ़ाये जाने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास को होगा।

13. क्रय की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरुप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्रय की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।

14. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रुप में पंजीकृत हैं, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

संलग्नः– निविदा फार्म

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास

::द्वितीय निविदा हेतु आवेदन–पत्र::

क.		
01	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का नाम एवं पता	
02	दूरभाष नंबर/मोबाईल नंबर	
03	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था के मालिक का नाम	
04	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का पंजी/जी.एस.टी. क्रमांक	
05	क्या विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था देवास की अधिकृत संस्था है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
06	यदि अधिकृत विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था हो तो प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	
07	क्या शासन ने विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था को सामग्री प्रदान किये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
08	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का बैंक का नाम/खाता क्रमांक मय आई.एफ.एस.सी. कोड सहित	

वित्तीय प्रस्ताव :–

क.	सामग्री का नाम	मूल्य प्रतिनग	जी.एस.टी. व अन्य व्यय	सकल मूल्य (जी.एस.टी. व अन्य व्यय सहित)

निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर